# चित्रकूट-पुलिस

**(1).** नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 07.07.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

**(2).** आज दिनाँक 07.07.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों,होटल/ढाबो, 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी।

**(3).** पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री विनोद कुमार शुक्ला द्वारा आपराधिक प्रवृत्ति का अभ्यस्त अपराधी जो दबंगई व गुण्डई के बल पर भोली-भाली जनता में भय आतंक फैलाकर गुंडागर्दी करने वाले अभियुक्त 1.रूपेश सिंह पटेल पुत्र अयोध्या प्रसाद निवासी पाण्डेयपुरवा मजरा रैपुरा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट 2.फूलचन्द्र पुत्र चुनवाद निवासी गढ़ीकला पड़री मजरा मदना थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 129 बीएनएसएस की कार्यवाही की गयी।

**(4).** पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री दुर्गविजय सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री अनिल कुमार व उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 137/2020 एसटी नं0 426/2020 धारा 354क, 323,504 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त अंकित पुत्र बनवारी निवासी नीबी थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

**<u>गिरफ्तार करने वाली टीम-</u>**

1.उ0नि0 अनिल कुमार थाना मऊ
2.आरक्षी मनीष यादव

**(5).** आज दिनाँक-07.07.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में क्षेत्राधिकारीगण के नेतृत्व में थाना क्षेत्रान्तर्गत आने वाले बैंक/वित्तीय संस्थानों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान बैंक सुरक्षा रजिस्टर को चेक किया गया एवं डियूटी में लगे पुलिसकर्मियों को सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यक निर्देश दिये एवं सतर्कतापूर्वक डियूटी करने हेतु बताया गया। बैंक में लगे अलार्म/सायरन, सीसीटीवी कैमरों का निरीक्षण कर चेक किया गया कि सही प्रकार से कार्य कर रहे है या नहीं तथा शाखा प्रबंधकों से सुरक्षा सम्बन्धी वार्ता की गयी। बैंक परिसर में संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी एवं अनावश्यक रूप से बैठे व्यक्तियों को परिसर से बाहर कर निर्देश दिये गये।

**(6).**पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यपाल सिंह,क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल के पर्यवेक्षण में थाना भरतकूप पुलिस टीम ने लूट के 03 आरोपी अभियुक्तों को लूट के 2150 रूपये, 01 अदद तमंचा,01 अदद जिन्दा कारतूस,01 अदद नाल में फंसा जिन्दा कारतूस, 02 अदद डण्डा व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया।

अभियुक्त का नाम व पताः-
1.अरविन्द पटेल पुत्र रमेश चन्द्र उर्फ बुद्धा निवासी ग्राम तरांव थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट।
2.अनिल वर्मा पुत्र नत्थू प्रसाद निवासी ग्राम तरांव थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट।
3.रामजस पुत्र चुनवाद निवासी ग्राम तरावं थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट।

बरामदगीः-

1. लूट के 2150 रूपये
2. 01 अदद तमंचा
3. 01 अदद जिन्दा कारतूस

4. 01 अदद नाल में फंसा जिन्दा कारतूस
5. 02 अदद डण्डा
6. घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल स्प्लेण्डर UP 96 R 1004

गिरफ्तारी का स्थान,समय,दिनाँक-

ग्राम भरथौल नहर के पास/07.07.2025/समय 10.25 बजे दिन

संक्षिप्त विवरणः-

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 07.07.2025 को वादी सिकन्दर वर्मा पुत्र मुन्ना निवासी ग्राम पड़री पोस्ट सिमोनी थाना बबेरू जनपद बांदा द्वारा थाना भरतकूप पर सूचना दी गयी कि दिनांक 06.07.2025 वह अपने पिता मुन्ना वर्मा पुत्र नत्थू के साथ किराये के ट्रैक्टर से लकड़ी बेचकर शिवरामपुर से वापस अपने घर जा रहा था जैसे ही वह तरांव पुलिया के पास समय करीब 10.15 बजे रात्रि में पहुंचा तो वहाँ पहले से मो0सा0 सवार तीन अज्ञात व्यक्ति खड़े हुए थे जिनके द्वारा ट्रैक्टर रुकवा लिया गया तथा तमंचा दिखाकर मेरे पिता के जेब से 1000 रूपये,एक मोबाइल फोन रियल मी रंग आसमानी छीन लिया गया । इस सूचना पर थाना भरतकूप में मु0अ0सं0 123/25 धारा 309(6),115(2),351(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा घटना का शीघ्र अनावरण कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक भरतकूप को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

आज दिनांक 07.07.2025 को मुखविर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई की तरांव पुलिया के पास लूट की घटना कारित करने वाले 03 मो0सा0 सवार व्यक्ति ग्राम भरथौल नहर पुलिया के पास सड़क पर खड़े है और व्यक्तियों को भय दिखाकर रोक टोक रहे है जल्दी किया जाए तो पकड़ा जा सकता है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर अपराध निरीक्षक व अनकी टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए मौके पर पहुंचकर घेर घार कर तीनों व्यक्तियों को मय मो0सा0 के गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार तीनों अभियुक्तों से क्रमशः नाम पता पूंछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो पहले अभियुक्त ने अपना अरविन्द पटेल पुत्र रमेश चन्द्र उर्फ बुद्धा निवासी ग्राम तरांव थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट बताया जिसकी जामा तलाशी से 01 अदद तमंचा 315 बोर,01 अदद जिन्दा कारतूस,01 अदद नाल में फंसा जिन्दा कारतूस व लूट के 750 रूपये बरामद हुए ,दूसरे अभियुक्त ने अपना नाम अनिल वर्मा पुत्र नत्थू प्रसाद निवासी ग्राम तरांव थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट बताया जिसकी जामा तलाशी से लूट के 700 रूपये, रियलमी मोबाइल 01 अदद डण्डा बरामद हुए तथा तीसरे अभियुक्त ने अपना नाम रामजस पुत्र चुनवाद निवासी ग्राम तरावं थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट बताया जिसकी जामा तलाशी से लूट के 700 रूपये, 01 अदद डण्डा व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल स्प्लेण्डर UP 96R1004 बरामद हुई । मुकदमा उपरोक्त में माल बरामदगी के सम्बन्ध में धारा 317(3) बीएनएस व अवैध तमंचा व कारतूस की बरामदगी के सम्बन्ध में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोतरी की गयी। घटना में प्रयुक्त मो0सा0 को धारा 207 एमवी एक्ट के अन्तर्गत सीज किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.अपराध निरीक्षक अभयराज सिंह थाना भरतकूप
2.उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार सिंह
3.आरक्षी नरेन्द्र सिंह
4.आरक्षी अखिलेश तोमर
5.आरक्षी शुभम यादव